संख्याः / XIII-1 / 2019–1(04)2019

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

JDA(ST)

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1

देहरादून दिनांक 14 जून, 2019

विषयः–किसानों की आय बढ़ाने हेतु "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी0एम–किसान)" योजना के विस्तार तथा समस्त किसानों को योजना से आच्छादित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में पूर्व में मात्र लघु एवं सीमान्त किसानों को आच्छादित करने संबंधी शासन के पत्र सं0–231, दिनांक 08 फरवरी, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लघु एवं सीमान्त किसानों की आय बढ़ाने हेतु "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी0एम–किसान)"योजना के क्रियान्वयन के संबंध में भारत सरकार के पत्र संख्या–1–1/2019–क्रेडिट.1 दिनांक 01 फरवरी,2019 के क्रम में योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– इस संबंध में सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या–1–4/2019–एफ0डब्ल्यू0एस0–II, दिनांक 07 जून,2019 (**छायाप्रति संलग्न**) द्वारा "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी0एम–किसान)" योजना का दायरा बढ़ाते हुए धारित कृषि भूमि की सीमा को समाप्त करके योजना का लाभ समस्त भूमिधर किसानों को प्रदान किये जाने हेतु योजना से आच्छादन हेतु पूर्व से लागू अपात्रता सम्बन्धी शर्तों को सम्मिलित करते हुए संशोधित आदेश जारी किये गये हैं, जो निम्नवत हैं :–

1– **योजना का लाभ देश के समस्त भूमि धारक किसानों को दिया जायेगा।**

2– आर्थिक रूप से सम्पन्न निम्नलिखित वर्ग के लोग इस योजना के लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे–

1–राभी संस्थागत भूमिधारक,

2–ऐसे किसान जिनके परिवार का कोई भी सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत है, पात्र नहीं होंगे :–

(क) संवैधानिक पदों पर पूर्व में कार्यरत रहे तथा वर्तमान में कार्यरत व्यक्ति।

(ख) पूर्व तथा वर्तमान मंत्री/राज्यमंत्री, पूर्व तथा वर्तमान लोक सभा/राज्य सभा सदस्य/विधान सभा/विधान परिषद सदस्य, पूर्व तथा वर्तमान मेयर/नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व तथा वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष।

(ग) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/ विभागों/क्षेत्रीय इकाईयों के समस्त कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी, केन्द्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं सम्बद्ध कार्यालयों, राज्य/केन्द्र के अन्तर्गत स्वायत उपक्रम के अधिकारी/कर्मचारी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कार्मिक (**मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी अथवा श्रेणी घ को छोड़कर**)।

(घ) सभी सेवानिवृत्त/अधिवर्षता आयु पूर्ण कर चुके, पेंशनधारी जिनकी पेंशन प्रतिमाह रू0 10,000/– अथवा रू0 10,000/–से अधिक हो (**मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी अथवा श्रेणी घ को छोड़कर**)।

(च) गत वर्ष के आयकर दाता।

कृषि निदेशालय
पत्र प्राप्ति सं0 253
दिनांक 17/6/19
उत्तराखण्ड, देहरादून

क्रमशः.....2

(छ) प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे—डाक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टेड एकाउण्टेंट तथा आर्किटेक्ट जो किसी पेशेवर उपक्रम (प्रोफेशन बॉडी) में पंजीकृत हों तथा पेशे सम्बन्धित प्रैक्टिस कर रहे हों।

3— समस्त किसानों को योजना से आच्छादित करने हेतु पूर्व में निर्धारित व्यवस्थानुसार मालिकाना हक की स्थिति का निर्धारण दिनांक 01 फरवरी,2019 की वास्तविक स्थिति के अनुसार होगा।

4— सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ लाभार्थी के चिन्हित होकर पीएम—किसान पोर्टल पर डाटा अपलोड होने सम्बन्धी चतुर्मास (4-Monthly Period) के आधार पर ही किया जायेगा। अतः समस्त पात्र किसानों को चिन्हित कर पीएम—किसान पोर्टल पर संगत डाटा भी राज्य सरकार द्वारा समयबद्ध आधार पर अपलोड किया जाना है, ताकि योजना का लाभ शत्‌प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को मिल सके।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा योजना का दायरा बढ़ाते हुए समस्त भूमिधर किसानों की आय बढ़ाने हेतु "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी0एम—किसान)" योजना के संशोधित आदेशों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें, ताकि उत्तराखण्ड राज्य के भी समस्त पात्र किसानों को योजना का लाभ समयबद्ध आधार पर प्राप्त हो सके। राज्य के शत्‌प्रतिशत पात्र लाभार्थी किसानों का डाटा समयबद्ध आधार पर पीएम—किसान पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश सं0—231, दिनांक 08 फरवरी, 2019 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

तद्‌नुसार समस्त अपेक्षित कार्यवाही समयबद्ध आधार पर सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः—यथोपरि।</u>

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

<u>संख्याः 947 (1)/XIII-1/2019—1(04)2019 तद्‌दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
3. अपर मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कृषि विभाग/उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के वित्त विभाग के प्रभारी अधिकारी।
10. स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के नोडल अधिकारी।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डी0सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव।